न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या– 2025/360

1. रामरतन आत्मज हरदेव जाति गूर्जर निवासी ग्राम अबड तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.
2. रामस्वरूप आत्मज कंवर लाल जाति गूर्जर निवासी ग्राम अबड तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.
3. दुर्गा लाल आत्मज कल्याण जाति गूर्जर निवासी अबड तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.

–अपीलांटगण

बनाम

1. कैलाश आत्मज रामस्वरूप जाति महाजन निवासी खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.
2. बदाम पत्नि रामस्वरूप जाति महाजन निवासी ग्राम खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.
3. बालकिशन आत्मज रामस्वरूप जाति महाजन निवासी खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.
4. राजू आत्मज रामस्वरूप जाति महाजन निवासी खेरखटा तहसील हिण्डोली जिला बूंदी राज.
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार हिण्डोली जिला बूंदी राज.

––रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहसः– 1.श्री प्रेमशंकर गूर्जर अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2.श्री कैलाश गुप्ता, अभिभाषक, रेस्पो. संख्या 1 लगायत 4 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 24.02.2026**

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली जिला बूंदी के प्रकरण संख्या 135/2024 में पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पो0 सं0 01 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत कर कथन किया कि भूमि खाता संख्या 31 ख.सं. 236, 237, 238, 239, 287, 288, 320/354 कुल किता 7 कुल रकबा 3.1323 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली मे विस्थित है। उक्त भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थीगण अपनी उक्त खातेदारी भूमि पर निरन्तर काबिज काश्त चले आ रहे है. प्रार्थीगण की उक्त भूमि ख.सं. 320/354 पर आने जाने हेतु खेरखटा से बसोली जाने वाली पक्की सडक से सिवायचक भूमि खं. 320/350 पर होता हुआ प्रार्थीगण की भूमि ख.सं. 320/354 पर आता जाता है, जिस पर प्रार्थीगण सदियों से आते जाते है एवं अपने ट्रेक्टर ट्रोली व कृषि उपकरण आदि उक्त रास्ते से ले जाते आ रहे है. परन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण 1 लगायत 3 उक्त रास्ते को बन्द करने की फिराक में है, तथा प्रार्थीगण को उक्त रास्ते से नहीं निकलने दे रहे है. अभी 15 दिन पूर्व प्रार्थीगण अपनी भूमियो पर उक्त रास्ते से हकाई करने जाने लगे तो अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 3 प्रार्थी के आडे फिर गये और धमकी दी कि उक्त रास्ते से नहीं निकलने देगे, जिस कारण प्रार्थीगण के सामने विभिन्न प्रकार की समस्याएं आ रही है। प्रार्थीगण की भूमि पर आने जाने का उक्त सिवायचक भूमि में बने रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता नहीं है। इसलिये प्रार्थीगण उपरोक्त रास्ता घोषित करवाने का अधिकारी है। इस हेतु प्रार्थीगण नियमानुसार रास्ते हेतु उपयोग होने वाली भूमि की कीमत जम करवाने हेतु तैयार है। उक्त मोजूदा रास्ते को राजस्व रिकार्ड मे दर्ज किये जाने हेतु पूर्व में तहसीलदार साहब से निवेदन किया था परन्तु उनके द्वारा उपखण्ड न्यायालय मे कार्यवाही किये जाने की कहने पर प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। प्रार्थीगण की खाते की भूमि ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खरखटा तहसील हिण्डोली मे विस्थित होने से माननीय न्यायालय को प्रार्थना पत्र के श्रवणाधिकार प्राप्त है। प्रार्थना पत्र निर्धारित न्याय शुल्क व तलबाने पर प्रस्तुत है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि ख.स. 320/354 रकबा 0.8094 हेक्टेयर वाके ग्राम खेजडा पटवार मण्डल खेरखटा तहसील हिण्डोली में आने जाने हेतु खेरखटा से बसोली जाने वाली पक्की सड़क से सिवायचक भूमि खसं. 320/350 पर 15 फिट चोडा रास्ता घोषित कर राजस्व रिकार्ड खेजड़ा में दर्ज करने के आदेश फरमावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी सुलभ हो प्रदान की जावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 30.05.2025 के द्वारा प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4

की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा नम्बर 320/350 में कायम किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 से व्यथित होकर अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 निरस्त किया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलांट को उक्त आदेश का पूर्व में कोई ज्ञान नहीं था और अपीलांट के अधिवक्ता ने अपीलांट से यह कह रखा था कि जब भी न्यायालय में अपीलांट की आवश्यकता होगी तब बुला लेंगे, लेकिन अपीलांट को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई और माह अगस्त 2025 के अंतिम सप्ताह में पटवार हल्का द्वारा इस बाबत सूचित करने पर दिनांक 26.08.2025 को अधीनस्थ न्यायालय में जाकर तलाश करने पर सर्वप्रथम उक्त आदेश का उसी दिन ज्ञान हुआ व उसी दिन नकल आवेदन करके दिनांक 08.09.2025 को नकल प्राप्त कर अपने अधिवक्ता से अपील तैयार करवाकर अपील न्यायालय हाजा में पेश की है जो जानकारी की तिथि से अंदर अवधि प्रस्तुत है। उक्त कारणों से ही अपील समय पर न्यायालय में पेश नहीं हो सकी और उक्त कारणों को दृष्टिगत रखते हुए अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील की सुनवाई किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। यदि देरी को माफ कर अपील की सुनवाई नहीं की गई तो अपीलांट को भारी अपूरणीय क्षति होगी और अपीलांटगण न्याय से वंचित हो जावेंगे। अतः श्रीमान से निवेदन है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील पेश करने में हुई देरी को माफ कर अपील की सुनवाई करने की कृपा करें। अन्त में प्रार्थी अपीलांट

की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमों में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि हुक्म जेर अपील कानून न्याय एवं तथ्यों के सर्वथा विपरीत है। रेस्पोडेन्ट ने अपनी भूमि 320/354 पर आने जाने हेतु भूमि खसरा संख्या 320/350 पर 15 फिट रास्ता चाहा गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट की उक्त भूमि के समीप ही खसरा संख्या 320/355 स्थित है जिसके समीप ही खेरखटा बसौली सड़क निकली हुई है और रेस्पोडेंट अपने पूर्वजों के समय से अरसे कदीम से उक्त खेरखटा बसौली सड़क से भूमि खसरा संख्या 320/355 के पूर्व दिशा में होकर रास्ता निकल रहा है जो प्रार्थीगण की उक्त भूमि खसरा संख्या 320/354 पर पहुंचता है और रेस्पोडेन्ट शुरू से ही उक्त भूमि 320/355 में पूर्व दिशा की ओर से ही बने हुये रास्ते से होकर आते जाते है जो अपने पूर्वजों के समय से ही इसी पर आ जा रहे है और अपने ट्रेक्टर ट्रोली कृषि यंत्र इत्यादि लाते ले जाते है। जिसका वर्णन भी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब के साथ संलग्न नक्शा परिशिष्ट–अ में किया हुआ है और इस प्रकार रेस्पोडेंट के पास वैकल्पिक रास्ता मौजूद है जो सबसे सुगम सरल तथा नजदीकी रास्ता है। और इसी से होकर रेस्पोडेन्ट अपनी भूमियों में आते जाते हैं। और वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेन्ट के पास उपलब्ध होने से नवीन रास्ता घोषित कराने के अधिकारी नहीं है और प्रार्थना–पत्र खारिज योग्य है। इस ओर ध्यान नहीं देकर अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है और प्रार्थना–पत्र निरस्तनीय है। अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राप्त मौका रिपोर्ट पर आपत्ति की थी और निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत जवाब में बताये गये रास्ते जिसका वर्णन जवाब के साथ प्रस्तुत परिशिष्ट–अ में किया हुआ है के बाबत मौका रिपोर्ट मंगवाई जावे, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट की उक्त मांग को अस्वीकार करने में भूल की है। और मोका रिपोर्ट मंगवाई जानी चाहिये थी और आदेश अधीनस्थ न्यायालय निरस्तनीय हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट मंगवाये जाने पर आदेश करने पर अपीलांट को सूचना नहीं दी गई। और अपीलांट की अनुपस्थिति में किसी प्रकार का मौका नहीं देखा गया और ना ही पटवारी कानूनगो इत्यादि मौके पर गये। तथा मौका रिपोर्ट में ही गलत रूप से यह अंकन कर दिया गया कि तहसील कार्यालय में नोटिस जारी किये गये जो पक्षकारान को विधिवत रूप से तामिल करवाये गये जबकि अपीलांट को कोई नोटिस जारी नहीं हुये और ना ही ऐसे नोटिस प्राप्त हुये है। उक्त नोटिसो को न्यायालय में तलब करने वास्ते अपीलांट निवेदन करते है और मौका रिपोर्ट निरस्तनीय होने से आदेश न्यायालय निरस्तनीय है। जिस भूमि पर रास्ता घोषित करने का

आदेश दिया गया है, अपीलांट उक्त भूमि पर अपने पूर्वजों के समय से ही काबिज चले आ रहे है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 निरस्त किए जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो रास्ता अपीलांट की भूमि में कायम किया है वह रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की खातेदारी की भूमि में आने–जाने हेतु एकमात्र रास्ता है। इसके अलावा कोई अन्य वैकल्पिक रास्ता प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण की भूमि में आने जाने हेतु मौके पर विद्यमान नहीं है। प्रश्नगत रास्ता प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की आत्यांतिक आवश्यकता का रास्ता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की प्रारंभ से ही जानकारी रही है इसके बावजूद भी अपीलांट ने जानबूझकर अपील मियाद बाहर पेश की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित नहीं किया है। अतः अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील मियाद के बिन्दु पर खारिज किए जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 विधि सम्मत है तथा इसमें क़िसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खाारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.05.2025 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रालवी के साथ संलग्न सभी दस्तावेजों का अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का सम्मानपूर्वक अवलोकन किया।

सर्वप्रथम प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण किया जाना उचित होगा। हमने प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का अवलोकन किया। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा मियाद के बिन्दु पर की गई बहस पर मनन किया। हमारे मत में प्रार्थी अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित कथन विश्वसनीय प्रतीत होते है अतः प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। न्यायहित में अपीलांट प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार

किया जाता है। अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा स्वयं के खाते की खसरा नम्बर 320/354 रकबा 0.8094 हैक्टेयर वाके ग्राम खेजडा तहसील हिण्डोली की भूमि में आने जाने हेतु रास्ता खसरा सख्या 320/350 में कायम किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा जिस प्रश्नगत खसरा संख्या 320/350 की भूमि में से रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है उक्त खसरा संख्या 320/350 की भूमि जमाबंदी सम्वत् 2076 से 2079 के अनुसार सिवायचक दर्ज रिकॉर्ड है। अतः प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा सरकारी सिवायचक भूमि में से रास्ता कायम किए जाने का अनुतोष चाहा गया है। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में अप्रार्थी संख्या 4 के रूप में राजस्थान सरकार को पक्षकार कायम किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सरकार को जवाब प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया जाकर तथा सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर निर्णय पारित किया जाना न्यायहित में आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो अप्रार्थी सरकार का कोई जवाब लिया गया और ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थी सरकार को साक्ष्य व सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.05.2025 पारित किया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अप्रार्थी सरकार को दिनांक 24.10.2024 को उपस्थित होने हेतु जारी सम्मन नोटिस की तहसीलदार हिण्डोली को तामील होने का अंकन है। अतः ऐसी स्थिति में तहसीलदार हिण्डोली को हस्तगत प्रकरण में सरकार के हितों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार की तरफ से मजबूत पैरवी किया जाना अपेक्षित था। परन्तु तहसीलदार हिण्डोली द्वारा प्रकरण में कोई जवाब पेश नहीं किया गया है। मोका रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 पर सरकार एवं अन्य पक्षकारान को आपत्ति प्रकट करने का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किए बिना तथा मोका रिपोर्ट दिनांक 04.04.2025 पर आपत्ति प्रकट करने का अवसर प्रदान किए बिना ही प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30.05.2025 पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। चूंकि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण द्वारा सरकारी सिवायचक भूमि में से रास्ता चाहा गया है अतः हमारे मत में हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी राज्य सरकार को साक्ष्य व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाना आवश्यक है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डोली जिला बून्दी के प्रकरण संख्या 135/2024 में पारित निर्णय 30.05.2025 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अप्रार्थी राज्य सरकार को जवाब प्रस्तुत करनें का समुचित अवसर प्रदान करें तथा उभयपक्षकारान सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा राजस्थान काश्तकारी(सरकारी) नियम, 1955 के नियम 68 से 70 की पालना करते हुए नवीन निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 30.03.2026 को स्वयं उपस्थित रहे। निर्णय की एक प्रति जिला कलेक्टर महोदय बून्दी को प्रेषित की जावे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 24.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

24/2/26

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा